न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र/15/2019

पंजाब नेशनल बैंक शाखा बृज औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी
.....प्रार्थी सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1–मैसर्स हिमगिरी ऑयल्स, ई–9(बी) बृज औधोगिक क्षेत्र,भरतपुर .....अप्रार्थी ऋणी
2–श्री हरबंस लाल तनेजा पुत्र लोकूराम तनेजा, बी–27 रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
3–श्री अशोक कुमार तनेजा पुत्र लोकुराम तनेजा, बी–28 रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
4–श्री राहुल तनेजा पुत्र हरबंस लाल तनेजा,, बी–27 रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
5–श्री गौरव तनेजा पुत्र अशोक कुमार तनेजा, बी–28 रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
6–श्री नन्द लाल तनेजा पुत्र मोतीराम तनेजा,बी–28 रणजीत नगर, ,, जमानती बन्धककर्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश दिनांक 7.2.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 20–01–2016 को प्रार्थी बैंक से 2,20,00,000/– रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ अप्रार्थी0 ने मैसर्स हिमगिरी ऑयल्स की सम्पति जो ई–9(बी) बृज औधोगिक क्षेत्र भरतपुर, स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1623 वर्ग मीटर) है जिसके पूर्व में–प्लॉट नं. ई–9सी, पश्चिम में–प्लॉट न.ई.–9 (सी), उत्तर में – रीको सड़क, दक्षिण में– कृषि भूमि, स्थित सम्पत्ति एवं मैसर्स हिमगिरी ऑयल्स की दृष्टि प्लान्ट व मशीनरी तथा सरसों का कच्चा माल, तैयार माल व सरसों तेल आयल केक इत्यादि को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी0/ऋणी के खाता को दिनांक 29.9.2018 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30.9.2018 तक 17197903/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 22–10–2018 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 / ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्तियों को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस दिनांक 22–10–2018 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई हैं । बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपनी अन्य सम्पत्तियों के साथ "प्लॉट नं. 101 खसरा नम्बर 1858 चक नं.02 प्रिन्स नगर" मैसर्स हिमगिरी ऑयल्स की सम्पति जो ई–9(बी) बृज औधोगिक क्षेत्र भरतपुर, स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1623 वर्ग मीटर) है जिसके पूर्व में–प्लॉट नं. ई–9सी, पश्चिम में–प्लॉट न.ई.–9 (सी), उत्तर में – रीको सड़क, दक्षिण में– कृषि भूमि, स्थित सम्पत्ति एवं मैसर्स हिमगिरी ऑयल्स की दृष्टि प्लान्ट व मशीनरी तथा सरसों का कच्चा माल, तैयार माल व सरसों तेल आयल केक इत्यादि को सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे । उसका भैातिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर

नोट:- आदेशिका दिनांक 25-2-19 के अनुसार आदेश दिनांक 7/2/19 के पेज संख्या-2 के अन्तिम पैरा में दर्ज/अंकित "प्लॉट नं. 101 खसरा नम्बर 1858 चक नं02 प्रिन्स नगर" लाईन को डिलीट किया जाता है। शेष यथावत रहेगा।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official